

सेवानियमावली
उत्तरांचल (कृषि विभाग,समूह "क" पद सेवा नियमावली 1992)

उत्तरांचल शासन

कृषि एवं कृषि विपणन

अधिसूचना

08 नवम्बर 2002 ई0

सं0 1400/कृषि/3(5)/2002-चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन,उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हों:

तथा चूंकि उ0प्र0 कृषि (समूह "क" पद) सेवा नियमावली,1992 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है:

अतः उ.प्र. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,2000(अधिनियम संख्या 29 सन्2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उ0प्र0 कृषि (समूह "क" पद) सेवा नियमावली,1992 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधधीन लागू रहेगा:-

1. उत्तरांचल (उ0प्र0 कृषि विभाग,समूह "क" पद सेवा नियमावली 1992)
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ-

1. यह आदेश उत्तरांचल (उ0प्र0कृषि(समूह "क" पद)सेवा नियमावली,1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 कहलायेगा।
2. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना-

उ0प्र0 कृषि (समूह "क" पद) सेवा नियमावली,1992 में जहाँ-जहाँ पर शब्द " उत्तर प्रदेश" आया है। वहाँ-वहाँ व शब्द "उत्तरांचल" पढ़ा जाय।

आज्ञा से

(बी0डी0भाण्डेय)

सचिव।